

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Shri S. P. Verma	3.	Shri A. H. Deshmukh
4.	Shri S. K. Phulesar	4.	Shri Ranveer Kapoor
5.	Smt. Savita Mishra	5.	Shri V. R. Patel
6.	Shri S. L. Jangde		
7.	Shri Deo Prakash Tiwari		
8.	Shri Mahesh Ram		
9.	Shri U. K. Meshram		
10.	Smt. Anita Gupta		
11.	Shri Bhanwar Singh Bariha		
12.	Shri Suryabhan Singh Paikra		
13.	Shri Vikas Sarode.		

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक विवाद नियम 1957 के नियम 25-ए की उपनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, उप श्रमायुक्त (प्रभाग अधिकारी औ. स. शाखा, मुख्यालय) छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 या धारा 12 का उपधारा (5) के अंतर्गत संदर्भित औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक पंच निर्णय को प्राप्त की अभिस्वीकृति भेजने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of rule 25-A of the Chhattisgarh Industrial Dispute Rules 1957 and in supersession of all previous notification on the subject, the State Government hereby authorises the Deputy Labour Commissioner (In charge Officer of I. R. Section, H. Q.) Chhattisgarh, Raipur to acknowledge the receipt of every arbitration award of a Labour Court or Industrial Tribunal in an industrial dispute referred to it by him under Section 10 or Sub-section (5) of Section 12 of the Industrial Dispute Act 1947 (No. 14 of 1947).

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्र. 14 सन् 1947) की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषयक पूर्व प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) में दर्शित अधिकारियों को, उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के समस्त उद्योगों के लिए, जिनके राज्य शासन परामर्शित शासन है, संराधन अधिकारी नियुक्त करता है :-

## अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	व्यक्ति (2)	क्षेत्र (3)
1.	श्रमायुक्त	प्रत्येक अधिकारी उसके समस्त स्थानीय अधिकारिता की सीमा में.
2.	सभी उप श्रमायुक्त	
3.	सभी सहायक श्रमायुक्त	
4.	सभी श्रम पदाधिकारी	
5.	सभी सहायक श्रम पदाधिकारी	

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Industrial Dispute Act 1947 (No. 14 of 1947) and in supersession of all previous notifications on the subject, the State Government hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the Schedule below as Conciliation Officers for the areas specified against them in column (3) of the said schedule for all industries for which the State Government is the appropriate Government. :—

## SCHEDULE

No. (1)	Person (2)	Industries (3)
1.	Labour Commissioner	Each officer within the limit of his local jurisdiction.
2.	All Dy. Labour Commissioners	
3.	All Asstt. Labour Commissioners	
4.	All Labour Officers	
5.	All Asstt. Labour Officers.	

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्रमांक XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उपश्रमायुक्त (प्रभारी अधिकारी) श्री. म. शास्त्रा. मुख्यालय) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा किया जावेगा.

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act 1947 (No. XIV of 1947) in its application to the State of Chhattisgarh and in Supersession of all previous notification's on the subject, the State Government hereby direct that powers by its Section 34 of the said Act shall be exercisable by Dy. Labour Commissioner (Incharge Officer I.R. section. H. Q.) Chhattisgarh. Raipur.

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्रमांक XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 33-सी (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उपश्रमायुक्त (प्रभारी अधिकारी) ऑ. स. शाखा, मुख्यालय) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा किया जावेगा.

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act 1947 (No. XIV of 1947) in its application to the State of Chhattisgarh and in Supersession of all previous notification's on the subject, the State Government hereby direct that powers by its Section 33-C (1) of the said Act shall be exercisable by Dy. Labour Commissioner (Incharge Officer I.R. section. H. Q.) Chhattisgarh. Raipur.

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्रमांक XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 12 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उपश्रमायुक्त (प्रभारी अधिकारी) ऑ. स. शाखा, मुख्यालय) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा किया जावेगा.

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act 1947 (No. XIV of 1947) in its application to the State of Chhattisgarh and in Supersession of all previous notification's on the subject, the State Government hereby direct that powers by its Section 12 (5) of the said Act shall be exercisable by Dy. Labour Commissioner (Incharge Officer I.R. section, H. Q.) Chhattisgarh. Raipur.

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्रमांक XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 12 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उपश्रमायुक्त (प्रभारी अधिकारी) ऑ. स. शाखा, मुख्यालय) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा किया जावेगा.

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act 1947 (No. XIV of 1947) in its application to the State of Chhattisgarh and in Supersession of all previous notification's on the subject, the State Government hereby direct that powers by its Section 12 (3) of the said Act shall be exercisable by Dy. Labour Commissioner (Incharge Officer I.R. section. H. Q.) Chhattisgarh. Raipur.

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्रमांक XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उपश्रमायुक्त (प्रभारी अधिकारी ऑ. स. शाखा. मुख्यालय) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा किया जावेगा.

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act 1947 (No. XIV of 1947) in its application to the State of Chhattisgarh and in Supersession of all previous notification's on the subject, the State Government hereby direct that powers by its Section 10 of the said Act shall be exercisable by Dy. Labour Commissioner (Incharge Officer I.R. section. H. Q.) Chhattisgarh. Raipur.

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-13/2002/16.—राज्य शासन एतद्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 (क्रमांक 27 सन् 1996) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अधीन राज्य में नियम बनाने तथा उसके क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित विशेषज्ञ समिति का गठन करती है.

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1. श्रमायुक्त   | : | अध्यक्ष   |
| 2. उपश्रमायुक्त "प्रशासन"   | : | पदेन सचिव |
| 3. कार्यपालन यंत्री,<br>ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें,<br>रायपुर संभाग, रायपुर. | : | सदस्य     |
| 4. कार्यपालन यंत्री,<br>लोक निर्माण विभाग,<br>रायपुर.                       | : | सदस्य     |
| 5. प्रमुख अभियंता<br>जल संसाधन विभाग<br>रायपुर का प्रतिनिधि.                | : | सदस्य     |

Raipur, the 24th January 2003

No. F-11-13/2002/16.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (No. 27 of 1996), the State Government hereby constitute following Expert Committee for making rules under this Act and its implementation in the State.

- |   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| 1. Labour Commissioner  | : | Chairperson           |
| 2. Dy. Labour Commissioner<br>"Administration".                         | : | Officiating Secretary |
| 3. Executive Engineer<br>Rural Engineering Services<br>Raipur Division. | : | Member                |
| 4. Executive Engineer<br>Public Works Deptt. Raipur.                    | : | Member                |
| 5. Representative of Engineer<br>in Chief Water Resources Deptt.        | : | Member                |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. एस. मूर्ति, सचिव

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 21 जनवरी 2003

प्र. क्र. 3/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	कवर्धा	बुधवारा प. ह. नं. 7	0.50	प्रबंध संचालक, भो. सह. राकर उत्पा. कार. मर्या., कवर्धा.	राकर कारखाना हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.